



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 224 राँची, गुरुवार,

15 मई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 अप्रैल, 2025

संख्या-5/आरोप-1-1/2022 का--30128(HRMS)--श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 123, दिनांक- 18.01.2022 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 149, दिनांक- 03.02.2021 द्वारा गठित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में श्री राम के विरुद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप-1:- अपर समाहर्ता भू-हदबन्दी, राँची द्वारा इस मामले की जाँच पड़ताल राजस्व कागजातों एवं स्थल जाँच के आधार पर की गई, जाँचोपरांत उनके पत्रांक-54 भू०ह०/जि०ग्रा०, दिनांक-28.09.2020 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच के पश्चात निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये हैं:-

(i) प्राप्त परिवाद में उल्लेख किया गया है कि खलारी अंचल अंतर्गत बुकबुका ग्राम के खाता सं०-04 प्लॉट सं०-37, 46, 57 एवं 58 कुल रकबा 1.59 ए० की लगान रसीद एक साथ वर्ष 1990 से 2020 तक कुल 30 वर्षों का ऑनलाइन लगान रसीद श्री बलदेव महतो के नाम से निर्गत किया गया। निर्गत ऑनलाइन रसीद में भो० सं०-01 पृष्ठ सं०-05 दर्ज है, परन्तु बुकबुका मौजा के मुल पंजी II के अनुसार भो० सं०-01 पृष्ठ सं०-05 में खाता सं०-04 प्लॉट सं०-37, 46, 57 एवं 58 दर्ज नहीं है। इस पृष्ठ में प्लॉट सं०-19,24 एवं अन्य प्लॉट जिसका रकबा 24.26ए० भूमि ACC प्रा० लि० खलारी के नाम से दर्ज है। प्रथम दृष्टया उक्त निर्गत ऑनलाइन रसीद सं० 0369337670 बलदेव महतो को निर्गत की गई है, फर्जी प्रतीत होता है ।

(ii) बुकबुका मौजा के मुल पंजी II के भो० सं०-01 पृष्ठ सं०-06 में खाता सं०-04/2 प्लॉट सं०-19,46 कुल रकवा 3.54 ए० बिहार सरकार के नाम से दर्ज है जिसका ऑनलाइन प्रविष्टि भी सही दर्ज किया गया है ।

(iii) बुकबुका मौजा के मुल पंजी II के भो० सं०-01 पृष्ठ सं०-52 में खाता सं०-04 प्लॉट सं०-57, 58, 48, 37, 3, 8 क्रमशः रकवा 03ए०, 0.38ए०, 0.48ए०, 0.20ए०, 2.71ए०, 0.34ए० कुल रकवा 4.64ए० भूमि बलदेव महतो पिता अकलू महतो के नाम से दर्ज है, परन्तु ऑनलाइन पंजी II में उक्त पृष्ठ सं०-52 से संबंधित जमाबंदी अमृता देवी पिता-कैलाश ठाकुर एवं जानकी देवी पति दामोदर ठाकुर के नाम से दर्ज है। उक्त के संबंध में मूल पंजी II भो०सं०-01 के गहन जाँच के क्रम में पाया गया कि बलदेव महतो की जमाबंदी जो पंजी II के पृष्ठ सं०-52 पर दर्ज किया गया है, वह प्रथम दृष्टया अलग पेन एवं अलग लिखावट का उपयोग कर विवरणी लिखा गया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पृ०सं०- 52 में जो पूर्व में जमाबंदी कायम थी उसे वहाँ से सावधानी पूर्वक हटाकर बलदेव के नाम से जमाबंदी कायम कर पृष्ठ सं०-52 के स्थान पर प्रति-स्थापित किया गया है। संबंधित पेज को जोड़ने का निशान भी स्पष्ट है ।

(iv) इस प्रकार अंचल कार्यालय में संधरित पंजी II भो०सं०-01 एवं ऑनलाइन पंजी II में विसंगति है, जिसका लाभ उठाकर रैयत के द्वारा स्थानीय राजस्व कर्मियों के मिली भगत से लगान रसीद कटवाने में सफल हुए ।

(v) इससे स्पष्ट होता है कि लगान रसीद प्राप्त करने हेतु एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्यालय में उपलब्ध पंजी II में छेड़छाड़ कर स्थान बनाया गया, तदोपरांत उक्त का लाभ Online Entry में गलत प्रविष्टि कर लगान रसीद प्राप्त करने में रैयत सफल हुए ।

आरोप-2- श्री रवि किशोर राम, अंचल अधिकारी, खलारी का उक्त आचरण प्रथम दृष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1123, दिनांक- 23.02.2022 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री राम के पत्र, दिनांक- 22.06.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री राम के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक- 4429, दिनांक- 21.07.2022 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के क्रम में उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 1053 दिनांक- 26.07.2022 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया ।

3. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उक्त आरोपों पर उनके स्पष्टीकरण तथा उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या- 18756(HRMS), दिनांक- 28.12.2022 के द्वारा श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच निष्कर्ष का प्रेषण उनके पत्रांक- 145, दिनांक- 18.10.2024 के द्वारा समर्पित किया गया है ।

5. संचालन पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में निम्नलिखित मुख्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

(क) मामला संज्ञान में आने पर संलिप्त कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई किया गया एवं प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी रद्द करने की तत्काल कार्रवाई करते हुए अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर राँची के पास भेजा गया ।

(ख) उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा प्रासंगिक मामले में उपायुक्त, राँची के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही उक्त मामले में नियम विरुद्ध लगान रसीद निर्गत होने का मामला प्रकाश में आने पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा कृत कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही को उचित/सही ठहराया गया ।

(ग) बुकबुका मौजा के मुल पंजी II के भो० सं०-01 पृष्ठ सं०-06 में खाता सं०-04/2 प्लॉट सं०-19,46 कुल रकवा 3.54 ए० बिहार सरकार के नाम से दर्ज है जिसका ऑनलाइन प्रविष्टि भी सही दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी श्री राम के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता है ।

(घ) श्री राम, तदेन अंचल अधिकारी, खलारी द्वारा अपने अधीनस्थों के विरुद्ध मामला के प्रकाश में आने पर कार्रवाई तो किया गया, परंतु अपने जिम्मेवारी का मात्र दोषारोपण उन पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(ङ) आरोपी पदाधिकारी श्री राम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर को Share करना गंभीर लापरवाही का द्योतक है। अतः यह आरोप आरोपी पदाधिकारी श्री रवि किशोर राम, तदेन अंचल अधिकारी, खलारी सम्प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा के विरुद्ध प्रमाणित होता है ।

6. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1027, दिनांक- 20.02.2024 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

6. श्री राम के पत्र, दिनांक- 25.02.2025 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया ।

श्री राम के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव में अंकित तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना बचाव बयान के साथ समर्पित किया गया है। श्री राम के द्वारा समर्पित इन तथ्यों पर विचार के उपरांत ही श्री राम को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है। श्री राम के द्वारा स्वयं का डिजिटल हस्ताक्षर को Share करने एवं उसके गलत इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रहने से संबंधित गंभीर लापरवाही बरतने के संबंध में प्रमाणित आरोप को अप्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तथ्य नहीं समर्पित किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 389/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVI KISHORE RAM 110003181683	श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
